जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 27.09.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर सुनी गयी जनता की समस्याएं, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनाँक 27.09.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया । थाना समाधान दिवस की शिकायतों को सुनते हुए महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में आये लोगों की शिकायतों को गम्भीरता से सुना जाए तथा स्थलीय निरीक्षण करके समस्या का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए । थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके । जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ताकि जनता का प्रशासन एवं पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो सके ।

महोदय द्वारा कहा गया कि पुलिस प्रशासन की साख तभी बनती है जब आम नागरिक को समय पर और निष्पक्ष न्याय मिले । शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । थाना समाधान दिवस के आयोजन से जनसुनवाई प्रक्रिया को और सशक्त किया जा रहा है । प्रशासन आमजन को विश्वास दिलाता है कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान समयबद्ध रूप से किया जाएगा । इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर *श्री अरुण कुमार*, व0उ0नि0 कोतवाली खलीलाबाद *श्री प्रमोद कुमार यादव*, पीआरओ पुलिस अधीक्षक *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 18 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6888 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 6888 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत भगौसा से कालर द्वारा बाइक के अनियंत्रित होकर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.निक्कू पुत्र रामसुमेर सा0 टड़वा माली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहर कला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ० अमित वर्मा, आरक्षी विवेक कुमार, आ०चा0 महेन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 59 वाहनों से 57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 59 वाहनों से 57000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान, अभियान के तहत समस्त थाना द्वारा 202 शोहदों को हिदायत देते हुए, 26 शोहदों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन - 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन -1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। ***इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में बिना वजह घूम रहे 20 व्यक्तियों को चेक किया गया व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाकर परिजनों को बुलाकर हिदायत देकर छोड़ा गया। महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में बिना वजह घूम रहे 25 व्यक्तियों को चेक किया गया व 01 शोहदे से माफीनामा भरवाकर परिजनों को बुलाकर हिदायत देकर छोड़ा गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में बिना वजह बाहर घूम रहे 105 व्यक्तियों को चेक करते हुए 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई। थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में बिना वजह घूम रहे 20 व्यक्तियों को चेक कर 04 शोहदों से माफीनामा भरवाकर परिजनों को बुलाकर हिदायत देकर छोड़ा गया तथा 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों को चेक करते हुए 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई। थाना बखिरा पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों को चेक करते हुए 09 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 01 अन्य शोहदे की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण माफीनामा भरवाकर चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों को चेक करते हुए 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई।**

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अन्तर्गत मौलाना आजाद इंटर कालेज, खलीलाबाद की कक्षा 12 की छात्रा रिदा ए फातिमा को 01 दिन का महिला थानाध्यक्ष बनाया गया

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में कक्षा12वीं की छात्रा रिदा ए फातिमा को महिला थाना का एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया । थानाध्यक्ष बनकर रिदाए फातिमा द्वारा थाने पर उपस्थित होकर जनसुनवाई किया गया। तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को आदेशित किया गया ।

तत्पश्चात छात्राओं को थाने की कार्यप्रणाली, FIR पंजीकरण की प्रक्रिया, महिला अपराधों से सम्बंधित कानूनी प्रावधान तथा 1090, 1930 व 112,1098,108,181, डायल सेवा की जानकारी दी गयी। आश्वस्त किया कि महिलाएँ एवं छात्राएँ निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा हेतु तत्पर है । ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं/बालिकाओं में अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससे वह समाज में एक सशक्त नारी शक्ति बनकर समाज के साथ समान हिस्सेदारी से मिलकर विकसित समाज बनाती हैं। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा एम्बुलेंस सेवा-1098, चाइल्ड लाइन-108, स्वास्थ्य सेवा-102, गर्भवती महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया।